न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्रकरण नं0 – 26/2024

दीवान : –

1. सन्तोष देवी पुत्री सोहनलाल पत्नी नरसीराम जाति बिश्नोई निवासी गांव झांसल तहसील भादरा हाल निवासी मकान न0 280 वार्ड न0 1 ऋषि नगर हिसार तहसील व जिला हिसार।

प्रार्थीया

बनाम्

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री नरेन्द्र सिहाग प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः–10/2/25

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 सीएचएन के खाता सं0 121/49 के मु0 न0 17 के किला न0 4/5, 4/6, 4/7, 4/9, 7, 14 कुल 0.7300है0 व रोही मोजा 2 सीएचएन के खाता सं0 151/70 के मु0 न0 53 के किला न0 24/1, मु0 न0 54 के किला न0 4/3, 7/4, 14/1, 17/2, 24/1 कुल 0.6240है0कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम सन्तोष देवी के स्थान पर पर अशुद्ध नाम सन्तरो पुत्री सोहनलाल दर्ज है, इसी प्रकार चक 4 सीएचएन के खाता सख्यां 121/49 एंव चक 2 सीएचएन खाता संख्या 151/70 में खातेदारी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का सही नाम सन्तोष देवी के स्थान पर अशुद नाम सन्तरो पुत्री सोहनलाल दर्ज है

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही एंव वास्तविक नाम सन्तोष देवी दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.25 16:39:03 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा चक 4 सीएचएन के खाता सं0 121/49 के मु0 न0 17 के किला न0 4/5, 4/6, 4/7, 4/9, 7, 14 कुल 0.7300है0 व रोही मोजा 2 सीएचएन के खाता सं0 151/70 के मु0 न0 53 के किला न0 24/1, मु0 न0 54 के किला न0 4/3, 7/4, 14/1, 17/2, 24/1 कुल 0.6240है0कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम सन्तोष देवी के स्थान पर पर अशुद्ध नाम सन्तरो पुत्री सोहनलाल दर्ज है, अतः प्रार्थी का सही नाम सन्तरो पुत्री सोहनलाल के स्थान पर पर प्रार्थीया का सही नाम सन्तोष देवी पुत्री सोहनलाल दर्ज किया जावें ताकि प्रार्थीया अपनी वाद भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 4 सीएचएन के खाता सं0 121/49 के मु0 न0 17 के किला न0 4/5, 4/6, 4/7, 4/9, 7, 14 कुल 0.7300है0 व रोही मोजा 2 सीएचएन के खाता सं0 151/70 के मु0 न0 53 के किला न0 24/1, मु0 न0 54 के किला न0 4/3, 7/4, 14/1, 17/2, 24/1 कुल 0.6240है0 कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम सन्तोष देवी के स्थान पर पर अशुद्ध नाम सन्तरो पुत्री सोहनलाल दर्ज है उक्त दोनों खातों में प्रार्थीया का नाम सन्तरो पुत्री सोहनलाल की जगह सही नाम सन्तोष देवी पुत्री सोहनलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि संतरो पुत्री सोहनलाल के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम संतरो पुत्री सोहनलाल ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 10/2/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.25 16:39:03 IST
Reason: SelfAttested